**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल**
**(कक्ष–संयुक्त वन प्रबंध )**
**ई–मेल : apccfjfm@mp.gov.in, फोन नं. 0755-2674286**

# शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, 2022–23

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में वन रक्षा और संवर्धन तथा वन्य जीव रक्षा एवं संवर्धन के क्षेत्र में अति विशिष्ट और उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और शासकीय, अशासकीय व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिये शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 2022–23 हेतु नामांकन आमंत्रित किये जाते हैं। पुरूस्कार वर्ग, कार्यक्षेत्र एवं पुरस्कार राशि की जानकारी नीचे तालिका में दी गयी है:–

| क. | पुरस्कार वर्ग | कार्य क्षेत्र | पुरस्कार |
|---|---|---|---|
| 1. | संस्थागत – ग्राम पंचायत, संयुक्त वन प्रबंध के अंतर्गत गठित समितियाँ, अशासकीय स्वयंसेवी संस्थान। | वन सुरक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य | रू. 1.00 लाख तथा प्रशस्ति पत्र |
| 2. | व्यक्तिगत (अशासकीय) | **अ.** वन सुरक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य | रू. 50 हजार तथा प्रशस्ति पत्र |
| | व्यक्तिगत (अशासकीय) | **ब.** वन्य प्राणियों की सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य (अदम्य साहस एवं सूझबूझ का प्रदर्शन) | रू. 50 हजार तथा प्रशस्ति पत्र |
| 3. | व्यक्तिगत (शासकीय) | **अ.** वन सुरक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य | रू. 50 हजार तथा प्रशस्ति पत्र |
| | व्यक्तिगत (शासकीय) | **ब.** वन्य प्राणियों की सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य (अदम्य साहस एवं सूझबूझ का प्रदर्शन) | रू. 50 हजार तथा प्रशस्ति पत्र |

विस्तृत जानकारी तथा नामांकन पत्र का प्रारूप मध्य प्रदेश में स्थित निकटतम वनवृत्त के मुख्य वन संरक्षक, वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) एवं वन्यप्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक टायगर रिजर्व कार्यालय या वन विभाग, मध्य प्रदेश की वेबसाईट www.mpforest.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र के नामांकन जिला पंचायत/जनपद पंचायत की अनुशंसा सहित वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) एवं वन्यप्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक टायगर रिजर्व को भेजे जायें। **निर्धारित फार्म पर भरे हुए नामांकन संबंधित क्षेत्र के वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी) एवं वन्यप्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक टायगर रिजर्व के कार्यालय में पांच प्रतियों में दिनांक 26.06.2023 को सायंकाल 05.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं।**

1/6/2023

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र.)
मध्य प्रदेश, भोपाल
फोन नम्बर 0755–2674286

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
(कक्ष–संयुक्त वन प्रबंध)
ई–मेल : apccfjfm@mp.gov.in, फोन नं.-0755-2674286

क्रमांक / सं.व.प्र. / श.अ.दे.पु. / 224 भोपाल, दिनांक 01.06.2023

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त क्षेत्र संचालक (वन्यप्राणी)
   मध्य प्रदेश

विषय – शहीद अमृता देवी विश्नोई वृक्षा रक्षा पुरस्कार वर्ष 2022–23.
संदर्भ – समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन।

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ–25 / 40 / 2000 / 10–2 दिनांक 01.09.2006 के द्वारा **"शहीद अमृता देवी विश्नोई वृक्षा रक्षा समारोह पुरस्कार"** एवं प्रक्रिया को स्थापित की गई है। आदेश की प्रति **परिशिष्ट–1** के रूप में संलग्न है।

2/ उपरोक्त मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक / एफ–25 / 40 / 2000 / 10–2 दिनांक 01.09.2006 के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप **"शहीद अमृता देवी विश्नोई वृक्षा रक्षा समारोह पुरस्कार, वर्ष 2022–23"** हेतु नामांकन चाहे गये हैं। इस हेतु प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में तदाशय के विज्ञापन का प्रकाशन किया जा रहा है। कृपया अधिक जानकारी के लिए वन विभाग, मध्य प्रदेश की वेबसाईट www.mpforest.gov.in पर देखिए। पुरस्कार की तीन श्रेणियाँ निम्नानुसार हैं:–

(1) **संस्थागत पुरस्कार**

वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था (गाम पंचायत, संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित समितियाँ एवं अशासकीय स्वयंसेवी संस्था) को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार एक लाख रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जावेगा।

(2) **व्यक्तिगत (अशासकीय)**

(अ) वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 50 हजार रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

(ब) वन्य प्राणियों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 50 हजार रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

(3) **व्यक्तिगत (शासकीय)**

(अ) वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवक को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 50 हजार रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

(ब) वन्य प्राणियों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 50 हजार रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

3/ वृक्षारोपण कार्यों हेतु पुरस्कार व्यक्तियों, संस्थाओं, संयुक्त वन प्रबंध समितियों द्वारा वनों एवं गैर–वन क्षेत्रों में किए गए वनीकरण कार्यों हेतु प्रदान किया जाएगा। उद्यानिकी वृक्षारोपण के साथ किए गए वानिकी वृक्षारोपण भी इस हेतु पात्र होंगे।

**अतः उक्त पुरस्कारों हेतु नामांकन प्रस्ताव वन मण्डलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26 जून, 2023 निर्धारित की गई है।** निर्धारित अवधि में प्राप्त समस्त प्रस्तावों को वन मंडलाधिकारी द्वारा तत्काल परीक्षण किया जायेगा एवं आप समन्वय अधिकारी की हैसियत से समस्त प्रस्ताव का परीक्षण एवं मूल्यांकन करेंगे। **तदोपरान्त दिनांक 03 जुलाई, 2023 तक समस्त प्रस्ताव अपने अभिमत के साथ इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।**

**संलग्नः– परिशिष्ट–1**

**(डॉ. यू.के. सुबुद्धि)** 1/6/2023
**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र.)**
**मध्य प्रदेश, भोपाल**

**पृ.क्रमांक/सं.व.प्र./श.अ.दे.पु./** 225

**भोपाल, दिनांक** 01.06.2023

**प्रतिलिपिः–**

1/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2/ समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/संचालक (टा.रिजर्व/अभ्यारण्य) मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्राप्त प्रस्ताव पर निर्देशानुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

3/ समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र.)** 1/6
**मध्य प्रदेश, भोपाल**

## आवेदन–पत्र

## शहीद अमृतादेवी विश्नोई पुरस्कार, वर्ष .................... हेतु नामांकन प्रारूप

| वर्ग | 1. | 2(अ) | 2(ब) | 3(अ) | 3(ब) |
|---|---|---|---|---|---|
| निशान लगायें | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | नामित संस्था/व्यक्ति (शासकीय/अशासकीय) का नाम | : | ..................................................................... ..................................................................... |
| 2. | पता | : | ..................................................................... ..................................................................... |
| 3. | दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर | : | ..................................................................... |
| 4. | वेबसाइट यदि कोई हो तो | : | ..................................................................... |
| 2. | कार्य क्षेत्र | : | ..................................................................... |
| 5. | पुरस्कार वर्ग | : | ..................................................................... |
| 6. | किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण (यदि विवरण अधिक हो तो अधिकतम 2 पृष्ठ अलग से संलग्न कर सकतें है।) | : | ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... |
| 7. | किये गये कार्य का विस्तारपूर्वक विवरण (विगत 5 वर्षों का)। कार्य विवरण देते हुए यह भी बतायें कि : | : | ..................................................................... ..................................................................... |
| | अ–कार्य की क्या विशेषता है? | : | ..................................................................... ..................................................................... |
| | ब–कार्य में जन भागीदारी किस प्रकार निहित है? | : | ..................................................................... ..................................................................... |
| | स–क्या किये गये कार्य का विस्तार अन्य क्षेत्रों में हुआ है अथवा उसकी क्या संभावना है? | : | ..................................................................... ..................................................................... |
| 8. | शासकीय कर्मचारी अपने दायित्वों के अतिरिक्त किये गये विशिष्ठ कार्य का उल्लेख करें, जिनके कारण पुरस्कार दिया जावे। | : | ..................................................................... ..................................................................... |

**आवेदक के हस्ताक्षर**

8. व्यक्तिगत (शासकीय कर्मचारी) वन एवं अन्य विभाग, श्रेणी 3 ''अ'' एवं ''ब'' के प्रस्ताव संबंधित शासकीय सेवक अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से निम्नानुसार प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें:–

**प्रमाण–पत्र**

1. नाम.....................................................................................
2. पद ....................................... 3. वेतनमान ...........................
4. विभाग ...............................................................................

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शासकीय सेवक के विरूद्ध विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध ब्यूरो में कोई भी प्रकरण दर्ज/लंबित नही है।

**हस्ताक्षर**

**एवं कार्यालयीन पद मुद्रा (नियंत्रक अधिकारी)**

10. प्रमाणीकरण (संबंधित वन संरक्षक (क्षेत्रीय / वन्य प्राणी) / वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय / वन्य प्राणी) द्वारा आवेदक के प्रकरण के ऊपर अपनी **हस्तलिखित तथ्यात्मक टीप** तथा स्पष्ट अनुशंसा दी जाये तथा कार्य में सहभागिता, नवाचार, प्रभावशीलता, कार्य के फैलाव तथा साहस से संबंधित विषयों पर विशेष टीप दी जाये।) तथा सत्यापित किया जाये कि नामित संस्था / व्यक्ति (शासकीय, अशासकीय) द्वारा दिया गया विवरण सही एवं सत्य है।

| |
|---|
| *** इस कॉलम में उपलब्धि पूर्ण न हो तो आवेदन के साथ अन्य पेज संलग्न करें।** |

स्थान :
दिनांक :

**हस्ताक्षर**
**वन संरक्षक (क्षेत्रीय) / वन मण्डलाधिकारी**
**वन मण्डल .....................**

**अंतिम तिथि : वन संरक्षक (क्षेत्रीय / वन्य प्राणी) / वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय / वन्य प्राणी) के कार्यालय में नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 26 जून, 2023 है।** इस संबंध में अन्य जानकारी वन संरक्षक (क्षेत्रीय) / वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय / वन्य प्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक) से प्राप्त की जा सकती है।

**सदस्य सचिव, पुरस्कार चयन समिति एवं**
**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र.)**
**मध्य प्रदेश, भोपाल**

# शहीद अमृता देवी विश्नाई पुरस्कार हेतु दिशा–निर्देश एवं शर्तें

–0–

1. विगत पांच वर्षों के अंतर्गत वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा तथा वन संवर्धन में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए उक्त पुरस्कार दिये जायेंगे।
2. संस्थागत/गैर शासकीय/शासकीय श्रेणी में आवेदनकर्ता को विगत पांच वर्षों में एक बार भी यदि किसी भी राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के अंतर्गत नगद पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो उनके प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे।
3. वृक्षारोपण कार्य के लिये 5 वर्षों से अधिक उम्र एवं 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के वृक्षारोपण ही पात्र माने जायेंगे और पुरस्कार वर्ष में कम से कम 75 प्रतिशत पौधों का जीवित एवं स्वस्थ होना अनिवार्य होगा।
4. पुरस्कारों हेतु वृक्षारोपण का चयन उनकी बढ़त, तकनीकी गुणवत्ता, प्रजाति तथा समाज में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में इनके योगदान आदि मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा।
5. पुरस्कार हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्थान/शासकीय सेवक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित वनमण्डलाधिकारी को तथा वन्य प्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक टाईगर रिजर्व को प्रस्तुत करेंगे।
6. ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के नामांकन जिला पंचायत की अनुशंसा सहित संबंधित वनमण्डलाधिकारी को भेजे जावेंगे।
7. पुरस्कार हेतु चयन के समस्त अधिकार राज्य स्तरीय चयन समिति में निहित होंगे। चयन समिति के विवेकानुसार प्रस्तावित पुरस्कार की श्रेणी में परिवर्तन किया जा सकता है।
8. चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा इस संबंध में कोई वाद किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होगा।
9. विज्ञापन में दिये गये पुरस्कार की श्रेणी में उपयुक्त संस्था/व्यक्ति मिलने पर ही उसे पुरस्कार के लिये चयनित किया जावेगा, उपयुक्त व्यक्ति न मिलने पर उस वर्ष उस श्रेणी में पुरस्कार नहीं दिया जावेगा।
10. आवेदक अपने कार्य से संबंधित दस्तावेज पांच प्रतियों में एवं रंगीन फोटोग्राफ आदि संलग्न करें तथा अपने स्वयं के नवीनतम पासपोर्ट साइज के दो–दो रंगीन फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(अ) (6) 134

**मध्य प्रदेश शासन**
**वन विभाग**
**मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल**

**//आदेश//**

भोपाल, दिनांक 01.09.2006

विषयः—शहीद अमृता देवी विश्नोई वृक्ष रक्षा समारोह।

——00——

क्रमांक एफ—25/40/2000/10—2 राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 अप्रैल, 2001, 30 मई, 2001 एवं 19 जुलाई 2001 को अधिक्रमित करते हुए शहीद अमृता देवी विश्नोई वृक्ष रक्षा समारोह के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि:—

1 प्रत्येक वर्ष दिनांक 8 सितंबर को शहीद अमृता देवी विश्नोई वृक्ष रक्षा दिवस मनाया जावेगा, जिसका आयोजन वन विभाग द्वारा किया जावेगा।

2 इस अवसर पर निम्नलिखित पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेगें और इन पर होने वाले व्यय मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन किया जायेगा।

i. संस्थागत
ii. व्यक्तिगत (अशासकीय)
iii. व्यक्तिगत (शासकीय)

(1) संस्थागतः— वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था (ग्राम पंचायत, संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित समितियॉ एवं अशासकीय स्वयंसेवी संस्था) को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार एक लाख रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जावेगा।

2

(2) व्यक्तिगत (अशासकीय) :— (अ) वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 50 हजार रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

(ब) वन्य प्राणियों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 50 हजार रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

(3) व्यक्तिगत (शासकीय) :—

(अ) वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवक को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 50 हजार रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

(ब) वन्य प्राणियों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शासकीय सेवक को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 50 हजार रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

2/– उक्त पुरस्कारों हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्थान/शासकीय सेवक निर्धारित प्रपत्र आवेदन संबंधित वन मण्डलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगें। वन मण्डलाधिकारी प्राप्त प्रस्तावों व अपनी टीप/अनुशंसा सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र व नामांकन जिला पंचायत/जनपद पंचायत की अनुशंसा सहित वन मण्डलाधिकारी को भेज जावेंगे।

इन प्रस्तावों का परीक्षण माननीय वन मंत्री जी की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जाकर पुरस्कार हेतु व्यक्ति/संस्थान/शासकीय सेवक का निर्धारण किया जावेगा।

| | | |
|---|---|---|
| (1) | माननीय वन मंत्री जी | अध्यक्ष |
| (2) | प्रमुख सचिव, वन | सदस्य |
| (3) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक | सदस्य |
| (4) | श्री ए.पी. द्विवेदी, सेवा निवृत्त, प्र.मु.व.सं. | सदस्य |
| (5) | श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ला, सेवा निवृत्त, अ.प्र.मु.व.सं. | सदस्य |
| (6) | डॉ. के.डी. सारन, सेवा निवृत्त, डीन, कृषि विश्वविद्यालय (बी--123, लालाराम नगर, इन्दौर) | सदस्य |
| (7) | श्री दयाल झारिया, अधिवक्ता, नीमगांव, हरदा (म.प्र.) | सदस्य |
| (8) | डॉ. किरन सिंह, रीडर एवं विभागाध्यक्ष, माईकोबायोलॉजी विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल | सदस्य |
| (9) | श्री विजय सिंह, अध्यक्ष ग्रीन बिग्रेड, डिण्डोरी, म.प्र. | सदस्य |
| (10) | मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन, म.प्र., भोपाल | सदस्य सचिव |

01.09.06

(सी.एच. मुरलीकृष्ण)
पदेन अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क./एफ–25/40/2000/10–2 भोपाल, दिनांक 01.09.2006

**प्रतिलिपिः–**

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
2. निज सचिव, माननीय वनमंत्री जी।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल।
6. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
7. मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन, भोपाल।

की ओर समसंख्यक आदेश दिनांक 30.08.06 के संशोधित आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.09.06

पदेन अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग